

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 897 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 13 / 10 / 2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. श्रीनिवास मिश्रा पुत्र रूपराम मिश्रा, उम्र 46 वर्ष।

निवासी :- गंगा बिहार 60 फुटा रोड़ गोले का मंदिर ग्वालियर, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 01 / 02 / 2018 को घोषित)

01. अभियुक्त श्रीनिवास पर भा.द.सं. की धारा :- 457 एवं 381 विकल्प में धारा 408 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 05 / 04 / 2014 को सुबह करीबन 05:15 बजे के पहले हॉट लाईन फैक्ट्री मालनपुर में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया, उसने हॉट लाईन फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के पद पर नियोजित होते हुए फैक्ट्री के स्वामी या भारसाधक के आधिपत्य से बिना उसकी अनुमति से ताँबे की कॉइल बजन करीब 30 किलोग्राम बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की एवं आरोपी पर विकल्प में यह आरोप है कि उसने दिनांक :- 05 / 04 / 2014 को सुबह करीबन 05:15 बजे हॉट लाईन फैक्ट्री मालनपुर में, हॉट लाईन फैक्ट्री का सुरक्षा गार्ड होकर फैक्ट्री की ताँबे की कॉइल न्यस्त होने पर बेईमानीपूर्वक उक्त ताँबे की कॉइलों का बेईमानी से दुर्विनियोग कर स्वयं के उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 05 / 04 / 2014 को थाना मालनपुर की उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य को दौरान-ए-गश्त एवं चैकिंग के दौरान हॉट लाईन फैक्ट्री या मिल्कोज फैक्ट्री के पास मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.एल. / 1736 पर आरोपी श्रीनिवास द्वारा एक प्लास्टिक के कट्टे में ताँबे के क्वाइल जो कि प्लास्टिक की वाइडिंग में थे, जिनका वजन लगभग 30 किलो था, ले जाता मिला, आरोपी से इस संबंध में उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा पूछे जाने पर उसके द्वारा उक्त ताँबे की क्वाइल

के आधिपत्य के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर ना देने पर, चोरी के संदेह में उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा आरोपी से उक्त 30 किलो तांबे की क्वाइल एवं मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एल./1736 जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया एवं आरोपी को धारा 41 (01)(04)/102 दं.प्र.सं. एवं धारा 379 भा.द.सं. के तहत गिरफ्तार किया, तत्पश्चात् आरोपित घटना की जांच की। जांच के दौरान साक्षी विनोद एवं सुरेश के जांच कथन लेखबद्ध किये गये, साक्षीगण के जांच कथनों में दर्शित तथ्यों के आधार पर उसके द्वारा आरोपी के जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जांच रिपोर्ट दिनांक : 28/06/20104 को थाना प्रभारी मालनपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर थाना प्रभारी मालनपुर द्वारा आरोपी श्रीनिवास के विरुद्ध अपराध क्रमांक 148/2014 अन्तर्गत धारा 406 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका साक्षी सुरेश दीक्षित के समक्ष बनाया गया। विवेचना के दौरान सुरेश दीक्षित, रामौतार एवं विजय नारायण के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 406, 457 एवं 380 भा.द.सं. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त श्रीनिवास के विरुद्ध धारा 457 एवं 381 विकल्प में धारा 408 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है एवं प्रतिरक्षा साक्षी/आरोपी श्रीनिवास प्रति.सा. 01 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी श्रीनिवास ने दिनांक : 05/04/2014 को सुबह करीबन 05:15 बजे के पहले हॉट लाईन फैक्ट्री मालनपुर में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया?

02. उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने हॉट लाईन फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के पद पर नियोजित होते हुए फैक्ट्री के स्वामी या भारसाधक के आधिपत्य से बिना उसकी अनुमति से तांबे की क्वाइल बजन करीब 30 किलोग्राम बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की?

वैकल्पिक आरोप :-

03. क्या आरोपी श्रीनिवास ने दिनांक : 05/04/2014 को सुबह करीबन 05:15 बजे हॉट लाईन फैंक्ट्री मालनपुर में, हॉट लाईन फैंक्ट्री का सुरक्षा गार्ड होकर फैंक्ट्री की तॉबे की कॉइल न्यस्त होने पर बेईमानीपूर्वक उक्त तॉबे की कॉइलों का बेईमानी से दुर्विनियोग कर स्वयं के उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग कारित किया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी/अभियोजन साक्षी डिम्पल मौर्य अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/04/2014 को थाना मालनपुर में एसआई के पद पर पदस्थ थी, उक्त दिनांक को दौरान-ए-गश्त एवं चैकिंग में मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एल./1736 पर आरोपी श्रीनिवास मिश्रा पुत्र रूपराम, उम्र 45 वर्ष, निवासी गंगा बिहार, 60 फुट रोड़ गोले का मंदिर ग्वालियर को मोटर साईकिल में एक प्लास्टिक के कट्टे में तांबे के क्वाइल जो कि प्लास्टिक की वाइडिंग में है, लगभग 30 किलो बजनी चोरी के संदेह में पकड़ी थी, जिसके संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर उसके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर ना देने पर, उसके द्वारा आरोपी को धारा "01, 04"/102 दं. प्र.सं. एवं धारा 379 भा.द.सं. के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसकी उसके द्वारा थाना प्रभारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उक्त जांच रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहती है कि उसके द्वारा इस संबंध में जांच की गई थी, जांच के दौरान साक्षी विनोद एवं सुरेश के बताये अनुसार जांच कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षीगण के कथनों में दर्शित तथ्यों के आधार पर उसके द्वारा आरोपी के जांच रिपोर्ट प्र.पी.05 तैयार की गई थी। उसके द्वारा आरोपी से 30 किलो बजनी तांबे की क्वाइल एवं मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एल./1736 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी. 01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहती है कि तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त अपराध के संबंध में उसके द्वारा थाना प्रभारी शेर सिंह को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी, जो कि उनके द्वारा आरोपी श्रीनिवास के विरुद्ध अपराध क्रमांक 148/2014 अन्तर्गत धारा 406 भा.द.सं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी प्रधान आरक्षक ओमवीर को सुपुर्द कर दी थी।

09. अभियोजन साक्षी नरेन्द्र भार्गव अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/04/2014 को थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह आरक्षक राकेश, इन्दल, एसआई डिम्पल मौर्य के साथ कस्बा गश्त के लिए रवाना हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि वह मिल्कोज फैक्ट्री तिराहा मालनपुर पर वाहन चैकिंग कर रहे थे, उसी समय सुबह पाँच-सवा पाँच बजे एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 07/एम.एल./1736 स्टार सिटी चलाता हुआ मिला, उक्त व्यक्ति को रोका तो उसकी मोटर साईकिल के पीछे एक प्लास्टिक की बोरी (कट्टा) लगा हुआ मिला। साक्षी आगे कहता है कि बोरी को खोलकर सिक्योरिटी गार्ड एवं उन लोगों के समक्ष देखा तो उसमें तॉबे की कॉइल, जिस पर प्लास्टिक चढ़ी हुई थी, हाजिर अदालत से पूछने पर कि उक्त तॉबे की कॉइल कहाँ से लाया है, वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका था। मौके पर एसआई डिम्पल मौर्य ने उसके एवं साक्षी विनोद शर्मा के सामने एक मोटर साईकिल एवं तॉबे की कॉइल लगभग 30 किलोग्राम जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् उसके एवं साक्षी विनोद शर्मा के सामने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, इस संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।

10. उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 प्रकरण में जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता है तथा अभियोजन कथा के अनुसार आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ.सा. 01 आरोपित घटना के समय उनके साथ मौजूद होकर घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में डिम्पल मौर्य अ.सा.04 का कहना है कि वह दिनांक : 04/04/2014 को रात्रि लगभग 12:00 बजे थाना मालनपुर से गश्त हेतु वाहन से रवाना हुई थी। जबकि कथित रूप से उनके हमराह साक्षी आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि वह दिनांक : 05/04/2014 को रात्रि 12:00 बजे गश्त हेतु थाना मालनपुर से रवाना हुआ था और उसे गश्त पर चलने का आदेश उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा दिया गया था। इस प्रकार थाना से रवाना से दिनांक के संबंध में उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 एवं आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में विरोधाभास है, इस वावत् अभियोजन की ओर से कोई रवानगी रोजनामचा सान्हा की मूलप्रति भी प्रकरण में साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई है।

11. उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि उसने आरोपी श्रीनिवास से जब्तशुदा क्वाइल का बजन नहीं किया था, अर्थात् नहीं तौला था। साक्षी आगे कहती है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर उसके द्वारा जब्तशुदा क्वाइल का बजन अंदाज से लिखा गया था। जबकि उनके कथित हमराय साक्षी आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ.सा.01 का

प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में कहना है कि वह लोग अर्थात् पुलिस बल घटना दिनांक को थाने से तराजू-बाट लेकर नहीं गये थे, बल्कि उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य ने पास की एक दुकान से तराजू-बाट मंगवाये थे और साक्षी आगे कहता है कि उसे यह नहीं पता कि उक्त दुकान किसकी थी, या उसका मालिक कौन था। इस प्रकार कथित रूप से आरोपित घटना में आरोपी से जब्तशुदा तांबे की क्वाइल जब्ती पत्रक प्र.पी.01 लेखबद्ध किये जाने के पूर्व तराजू-बाट से तौली गई थी, अथवा उनका बजन अनुमानित रूप से जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में लेखबद्ध किया गया था, इस वावत् उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 एवं आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष है, जो कि आरोपित घटना की सत्यता को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

12. उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी से जब्तशुदा क्वाइल को सफेद कपड़े में सीलबंद किया था। जबकि उसके कथित हमराह साक्षी आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में कहना है कि जब्तशुदा तारों को जब्तशुदा प्लास्टिक के कट्टे में ही सीलड किया गया था। इस प्रकार कथित रूप से जब्तशुदा तांबे की क्वाइल अथवा तारों को कपड़ों में सीलबंद किया गया था, अथवा प्लास्टिक के कट्टे में, इस वावत् उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 एवं आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष है, जो कि आरोपित घटना की सत्यता को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है। उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में जब्तशुदा क्वाइल को सफेद कपड़े में सीलबंद किया जाना एवं जब्ती पत्रक पर सील नमूना अंकित ना होना दर्शित किया है। जबकि उसके कथित हमराह साक्षी आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह दर्शित किया है कि जब्तशुदा तारों को सीलड करते समय थाने की सील एवं चपड़ी का प्रयोग किया गया था। ऐसी दशा में यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आरोपी से कथित रूप से जब्तशुदा तांबे की क्वाइल अथवा तारों को कपड़े में अथवा प्लास्टिक के कट्टे में सीलबंद किया गया था और सीलबंद करते समय थाने की चपड़ी एवं सील का प्रयोग किया गया था, तो उक्त सील का नमूना आसानी से जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर लगाया जा सकता था, परन्तु जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर कोई सील नमूना अंकित नहीं है, जो इस तथ्य को संदेहास्पद बनाता है कि कथित रूप से आरोपी से जब्तशुदा वस्तु को घटनास्थल पर सीलबंद किया गया था और यह तथ्य आरोपी से जब्ती के तथ्य को भी अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

13. उल्लेखनीय यह भी है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में जब्ती का स्थान हॉट लाईन फैक्ट्री तिराहा लहचूरा रोड़ मालनपुर होना दर्शित किया गया है, जबकि आरोपी श्रीनिवास की गिरफ्तारी का स्थान मिल्कोज फैक्ट्री तिराहा मालनपुर होना दर्शित किया गया है। जबकि जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता

उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उनके द्वारा आरोपी श्रीनिवास से तांबे के क्वाइल की जब्ती एवं आरोपी की गिरफ्तारी भिन्न-भिन्न स्थानों पर की गई थी। बल्कि उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में उसे आरोपी श्रीनिवास मिल्कोज फैक्ट्री तिराहे पर सुबह 05:00 बजे वाहन चैकिंग के दौरान मिलने का उल्लेख किया है। उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 के द्वारा पहले जब्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया गया है, तत्पश्चात् गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया गया है। लेकिन उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि मिल्कोज फैक्ट्री तिराहे पर आरोपी श्रीनिवास के मिल जाने के पश्चात् वह उसे जब्ती कार्यवाही करने के लिए हॉट लाईन फैक्ट्री तिराहे तक ले गई और तत्पश्चात् गिरफ्तारी करने के लिए उसे वापस मिल्कोज फैक्ट्री तिराहे पर लाई। अभियोजन अधिकारी द्वारा इस वावत् तर्क दिया गया है कि हॉट लाईन फैक्ट्री एवं मिल्कोज फैक्ट्री पास-पास ही स्थित है, इसलिए उक्त जब्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक में जब्ती एवं गिरफ्तारी के स्थान के संबंध में जो भिन्नता है, वह अभियोजन के लिए संदेह उत्पन्न नहीं करती है। इस वावत् यह उल्लेखनीय है कि यदि उक्त हॉट लाईन एवं मिल्कोज फैक्ट्री पास-पास स्थित है, जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही अभियोजन कथा के अनुसार एक ही स्थान पर गई है, तो जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रकों में उनमें से किसी एक स्थान का ही उल्लेख किया जाना चाहिए था, ना कि भिन्न-भिन्न स्थानों का। इस वावत् यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचना के दौरान बनाये गये नक्शा-मौका प्र.पी.07 में जब्ती एवं गिरफ्तारी के स्थान का या उनके भिन्न-भिन्न स्थान होने का या हॉट लाईन एवं मिल्कोज फैक्ट्री के समीप ही स्थित होने का कोई उल्लेख नहीं है।

14. अभियोजन साक्षी शेर सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/06/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में थाना प्रभारी मालनपुर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी/उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा इस्तगासा क्रमांक 0/14 अन्तर्गत धारा 41 "01", "04" एवं 102 द.प्र.सं. एवं धारा 379 भा.द.सं. जांच रिपोर्ट उपरांत एवं आवेदन पत्र प्र.पी.05 का आरोपी श्रीनिवास पुत्र रूपराम मिश्रा, उम्र 43 वर्ष, निवासी :- गंगा बिहार 60 फुट रोड़ गोले का मंदिर ग्वालियर के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हेतु प्रस्तुत किया था, जिस पर उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने की अनुमति दी थी, उक्त आवेदन प्र.पी.05 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी श्रीनिवास पुत्र रूपराम मिश्रा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 148/2014 अन्तर्गत धारा 406 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना हेतु एफआईआर प्रधान आरक्षक ओमवीर को सौंप दी थी। उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य अ.सा.04 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्र.पी.05 से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध किये जाने के

संबंध में नगर निरीक्षक शेर सिंह अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

15. अभियोजन साक्षी ओमवीर सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/07/2014 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 148/2014 अन्तर्गत धारा 406 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी सुरेश कुमार दीक्षित के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी सुरेश दीक्षित, साक्षी रामौतार एवं विजय नारायण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था एवं तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में विवेचक ओमवीर अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि नक्शा-मौका प्र.पी.07 में यह दर्शित नहीं किया है कि आरोपी ने किस स्थान पर चोरी की गई तार की केविल को फेंका था। उल्लेखनीय है कि नक्शा-मौका प्र.पी.07 में भी ऐसे किसी स्थान का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं किये गये हैं। जबकि साक्षी सुरेश दीक्षित अ.सा.02 एवं रामौतार पाल अ.सा.03 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पुलिस द्वारा उनके घटना के बारे में कोई पूछताछ कर कोई बयान ना लेना व्यक्त किया है और इस वावत् उनके पुलिस कथनों प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 में उल्लेखित तथ्य उनके द्वारा बताये जाने से इन्कार किया गया है। इस प्रकार इस वावत् विवेचक ओमवीर अ.सा.06, साक्षी सुरेश दीक्षित अ.सा.02 एवं रामौतार पाल अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, साक्षी सुरेश दीक्षित एवं रामौतार पाल के पुलिस कथन प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

16. साक्षी सुरेश दीक्षित अ.सा.02 एवं रामौतार पाल अ.सा.03 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी श्रीनिवास द्वारा दिनांक : 05/04/2014 को सुबह करीबन 05:15 बजे के पहले हॉट लाईन फैक्ट्री मालनपुर में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन करने, हॉट लाईन फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के पद पर नियोजित होते हुए फैक्ट्री के स्वामी या भारसाधक के आधिपत्य से बिना उसकी अनुमति से तॉबे की कॉइल बजन करीब 30 किलोग्राम बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी करने एवं दिनांक :- 05/04/2014 को सुबह करीबन 05:15 बजे हॉट लाईन फैक्ट्री मालनपुर में, हॉट लाईन फैक्ट्री का सुरक्षा गार्ड होकर फैक्ट्री की तॉबे की कॉइल न्यस्त होने पर बेईमानीपूर्वक उक्त तॉबे की कॉइलों का बेईमानी से दुर्विनियोग कर स्वयं के

उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी श्रीनिवास ने दिनांक :- 05/04/2014 को सुबह करीबन 05:15 बजे के पहले हॉट लाईन फैक्ट्री मालनपुर में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया, उसने हॉट लाईन फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के पद पर नियोजित होते हुए फैक्ट्री के स्वामी या भारसाधक के आधिपत्य से बिना उसकी अनुमति से ताँबे की कॉइल बजन करीब 30 किलोग्राम बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की एवं उसने दिनांक :- 05/04/2014 को सुबह करीबन 05:15 बजे हॉट लाईन फैक्ट्री मालनपुर में, हॉट लाईन फैक्ट्री का सुरक्षा गार्ड होकर फैक्ट्री की ताँबे की कॉइल न्यस्त होने पर बेईमानीपूर्वक उक्त ताँबे की कॉइलों का बेईमानी से दुर्विनियोग कर स्वयं के उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी श्रीनिवास के विरुद्ध धारा 457 एवं 381 विकल्प में धारा 408 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी श्रीनिवास को धारा 457 एवं 381 विकल्प में धारा 408 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.एल./1736 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी श्रीनिवास के पास सुपुर्दगी पर है, उक्त सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा ताँबे की क्वाइल पर आरोपी द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है। फलतः उक्त ताँबे की क्वाइल अपील ना होने की दशा में, अपील अवधि पश्चात् राज्य के पक्ष में सम्प्रहृत कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

